न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी
वाद संख्या — श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.
184 / 19

कचरूलाल पुत्र श्री नारायण जाति जाट निवासी ग्राम मकरेडा
तह0 पीसागंन जिला अजमेर

...वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर

..... **असल प्रतिवादी**

2. सुखदेव पुत्र श्री नारायण जाति जाट निवासी ग्राम मकरेडा तहसील पीसागंन जिला अजमेर

..... **तरतीबी प्रतिवादी**

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री मदनपुरी गोस्वामी – अभिभाषक वादी
श्री रामसिंह गुर्जर – सरकार पेरोकार

–: निर्णय :– दिनांक 31.03.2021

संक्षिप्त में वाद में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अभिभाषक के यह वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मकरेडा तहसील पीसागंन जिला अजमेर में अवस्थित खाता संख्या 659 नया 624 पुराना के कुल किता 28 कुल रकबा 11.87 है. वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 को उन्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुयी है। वर्किंग जमाबदीं सवंत 2041 में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात नारायण वल्द जोरा 2/3 हिस्सा , मिश्री वल्द गंभीरा 1/3 हिस्सा कौम जाट साकिन देह दर्ज है। जिसमें से मिश्री वल्द गंभीरा के नाऔलाद फौत होने पर उसका विधिक उत्तराधिकारी पुत्र नारायण वल्द जोरा (सहवन से नारायण जोरा पुत्र मिश्री) के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 68 दिनांक 3.6.1989 को दर्ज कर दी गयी। जिसके पश्चात उक्त आराजी का तन्हा खातेदार नारायण वल्द जोरा हो गया। जिनके फोत होने के पश्चात उसके विधिक वारीसान सुगनी बेवा नारायण , कचरू व सुखदेव पुत्रान नारायण के नाम जरिये नामान्तकरण संख्या 84 दिनांक 22.9.1990 दर्ज कर दी गयी। जिसमें सुगनी बेवा नारायण का भी स्वर्गवास हो चुका है। जिसके विधिक वारीसान वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी है। लेकिन वर्तमान में हुए भू– संशोधन के दौरान वर्किंग जमाबदीं में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार राजस्व रिकार्ड में मुर्तिब नहीं कर पुनः आराजीयात को वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी के साथ साथ जोरा पुत्र मिश्री , नारायण पुत्र मिश्री एंव सुगनी पत्नि मिश्री का नाम भी दर्ज चला आ रहा है। जबकि उक्त तीनों का स्वर्गवास हो चुका है। अतः वाद स्वीकार फरमाकर उक्त तीनों का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी को तन्हा खातेदार अकंन किया जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किये गये। सरकार का हित नहीं होने से उनका जवाब तलब किया गया। तरतीबी प्रतिवादी सुखदेव ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी उक्त दुरुस्ती किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.09.06 16:15:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन

मैंने वादी अभिभाषक की बहस सुनी । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेंजो का अध्ययन किय तो पाया कि वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **तहसीलदार पीसागंन को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम मकरेडा तहसील पीसागंन जिला अजमेर में अवस्थित जमाबदीं सवंत 2072–75 के खाता संख्या 659 नया 624 पुराना खसरा सख्या 1273, 1274, 2172, 2234, 2235, 2238, 2252, 2256, 2356, 2357, 2362, 2365, 2366, 2357/3520, 2506, 2536, 2538, 2592, 2595, 371, 373, 374, 376, 397, 398, 425/3035, 426, 890 कुल किता 28 कुल रकबा 11.87 है. में अंकित जोरा पुत्र मिश्री , नारायण पुत्र मिश्री एंव सुगनी पत्नि नारायण का नाम हटाया जाकर वादी एंव तरतीबी प्रतिवादी को 1/2 –1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है एंव तद्नुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अकंन किया जावे।**

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.09.06 15:15:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (पीसांगन अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी एंव उपखण्ड सहायक कलक्टर पीसागंन

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर पीसागन